फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी : श्री नवलदास — विपक्षी : श्री गोपीलाल

म मुकदमा – 251''क'' रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 235/21

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.06.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प हींता में पेश हुई। तहसीलदार कानोड से रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त जो आज रेकर्ड पर ली गई। शामिल फाईल रहें। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें। प्रार्थी को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी की साबिक आराजी नम्बर 1/1 क, 65, 66, 70, 71/8 के वर्तमान आराजी नंबर 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77 कुल किता 12 रकबा 3.24 हैक्टेयर भूमि में आने जाने के लिए विपक्षीगण की साबिक आराजी नम्बर 1/1 च, जिसके वर्तमान आराजी नंबर 82 रकबा 0.3200 हैक्टेयर भूमि में से होकर 20 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता 810 वर्ग मीटर होकर डीएलसी दर 717804/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 58142/– रूपये होना बताया। तहसीलदार कानोड द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में प्रथा पुत्र खेमा रावत के वारिसान की भूमि में से गुजरता है। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं जिससे रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतित होता है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा हींता पटवार हल्का हींता की हाल आराजी नम्बर 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77 कुल किता 12 रकबा 3.24 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की हाल आ.न. 82 रकबा 0.3200 हैक्टेयर में से 810 वर्ग मीटर भूमि का संलग्न (प्रस्तावित) राजस्व नक्शा ट्रेस **C** अनुसार रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 717804/– अक्षरे सात लाख सत्रह हजार आंठ सौ चार रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 810 वर्ग मीटर की कुल कीमत 58142/– का दुगुना 116285/– रूपयें एक लाख सोलह हजार दौ सौ पिचयासी रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 1 से 6 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी संख्या 1 से 6 को खातेदारी हक हिस्से अनुसार समानुपातिक रूप से अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड [illegible] जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.08.01 14:07:15 IST
Reason: SelfAttested